अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय–प्रथम
शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

शिक्षा शब्द 'शिक्ष्' धातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण, संवर्द्धन तथा पथ–प्रदर्शन करने का कार्य। शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही हम जीवन की समस्याओं व वातावरण में सामंजस्य बनाते है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षा ही व्यक्ति के विचार व्यवहार व दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है जिसके द्वारा समाज, देश व विश्व का उद्धार होता है।

इसी लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा हे कि–

"हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। बुद्धि का विकास होता है। और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है"

अध्यात्मवादी विचारक तो शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते है। इसीलिए श्री शंकराचार्य का कहना है कि –

"***सा विद्या विमुक्तयो***" अर्थात जो मुक्ति दिलाये वही विद्या है।

शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है।

महान दार्शनिक सोक्रेटीज का भी कहना है – "***शिक्षा का अर्थ होता है संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना जो प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते है***"।

मनुष्य के विचारों को भाषा का रूप शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है उपनिषद में तो शब्द को ब्रम्हा की संज्ञा दी गई है।

शब्द के प्राकट्य से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है।

भाषा मानव–भाव की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है जिसके अभाव में मानव पशु तुल्य है। भाषा शब्द की रचना संस्कृत भाषा की "**भाषा**" धातु से हुई है

जिसका अर्थ है – "**वाक्तायां वाचि**" व्यापक रूप में विचार विनिमय के समस्त साधनों को भाषा कहते है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी भी ऐसा जो अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों को बोल कर व्यक्त कर सकता है अन्य प्राणी इस रूप में स्वयं के विचारों भावों को प्रकट नही कर सकते अर्थात भाषा मनुष्य के लिए प्रकृति का दिया अनमोल वरदान है प्रकृति ने यह शक्ति केवल मनुष्यों को प्रदान की है इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है।

आज उच्य प्राथमिक स्तर पर छात्रों में बहुत सी भाषायी अशुद्धियां देखने को मिलती है। यह अशुद्धियां शासकीय व अशासकीय, ग्रामीण व शहरी तथा छात्र व छात्राओं में सामान्य रू॰ से देखी जाती है। हिन्दी भाषा को अभिव्यक्ति का सरस प्रभावशाली माध्यम बनाने के लिए अशुद्धियों का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

भाषा के बिना विचार–विनियम असम्भव है। कुछ सीखने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी भाषा को सीखने के कुछ चरण होते हैं, वह चरण चार हैः– (1) सुनना, (2) बोलना, (3) पढ़ना, (4) लिखना जिनका एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

❖ भाषा की परिभाषा :–

शास्त्रीय अर्थ में विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते है। मारियों ए. पेई. ने कहा है, "भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है"। भाषा की परिभाषा विद्वानों ने अलग–अलग दी है जिसमें से कुछ निम्न प्रकार की है–

1. **महर्षि पतंजलीः–** ***"व्याक्ता वाचि वर्ण येषांत हमें व्यक्त वाच"***, अर्थात भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करते है।

2. **सुमित्रानंदन पंथः–** ***"भाषा संसार का नादमय चित्र है। ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व के हृदयतंत्री का विकास है"***।

3. स्वीट महोदयः– *"ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है"*।

4. भोलानाथ तिवारीः– *"भाषा उच्चारण–अवयवों से उच्चारित, यादृच्छिक ध्वनि–प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज–विशेष के लोग आपस में आदान–प्रदान करते है"*।

❖ अशुद्धियों का स्वरूपः–

अशुद्धियों के स्वरूप के सम्बन्ध में अगर देखा जाएं तो भाषा वैज्ञानिको में मतैक्य नहीं है। त्रुटियों को अवांछनीय से लेकर अपरिहार्य, वैयक्तिक से लेकर सामूहिक, महत्वहीन से लेकर महत्वपूर्ण, अरूचिकार से लेकर रोचक, अंतर–भाषिक से लेकर अंतरा–भाषिक, स्थिर से लेकर विकासपरक, अव्यवस्थित से लेकर व्यवस्थित और अस्वाभाविक से लेकर स्वाभाविक तक माना गया है।

कोरडर (1975) ने अधिगमकर्ता की अशुद्धियों की अर्थवस्था पर महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तुत की है। कोरडर का विश्लेषण इस महत्वपूर्ण धारणा पर अवलंबित है कि, मातृभाषा–अधिगम और द्वितीय भाषा–अधिगम में कोई मूलभूत भेद नही है।

चूकों और त्रुटियों में भी कोरडर ने अंतर किया है। चूक उन्हें कहते है जो स्मृति में व्यवधान, धकन जैसी शारीरिक स्थिति और अति भावुकता जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण होती है। ये भाषा–ज्ञान में कमी की सूचक नहीं होती और हम उनके उच्वरित होते ही उन्हें जान लेते है। और तुरंत उहें सुधारने की स्थिति में भी होते है यह स्थिति उन त्रुटियों के जिन्हें अशुद्धियाँ कहते है। उनके साथ नही होती हैं त्रृटियां अध्यापक को बताती हैं कि, अधिगम कर्ता कहां तक सीखा है। उसके बाद उसका दुसरे शोधकर्ता को भी मार्गदर्शन होता है।

❖ भाषा के कौशलः–

"किसी भी भाषा को सीखने के कुछ चरण होते हैं उसी के अनुसार उन सभी भाषिक दक्षताओं को प्राप्त किया जाता है, उनको भाषा का कौशल कहा जाता है"। जो क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये है। जिनका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन चारों कौशलों का विकास क्रम में होता है। जैसे बिना सुने बोला नही जा सकता, और बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है तत्पश्चात वह

पढ़ना और लिखना सीखता है, अतः इन में चारों में यदि पहले कौशल का विकास बच्चे में नही हो पाया तो वह आगे का कौशल नही सीख सकता। सुनना और बोलना किसी भी भाषा के वह महत्वपूर्ण चरण है जिन पर बाकी के दो पढ़ना और लिखना निर्भर होते हैं, क्योंकि वह सुनना बोलना इन दोनो के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं जिनको ग्रहण और अभिव्यिक्ति में इस प्रकार विभाजित किया जाता है –

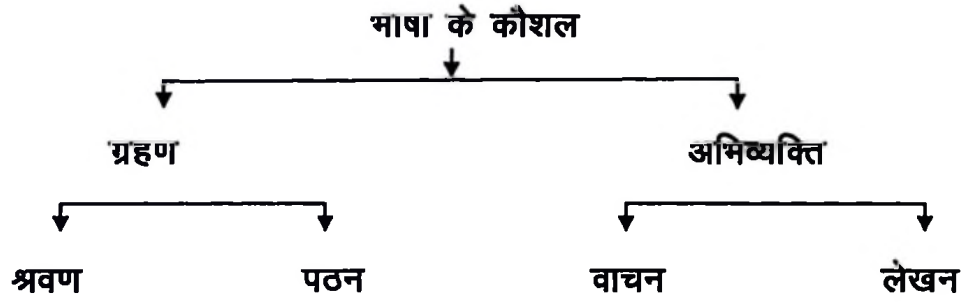

भाषा के ये चारों कौशल महत्वपूर्ण है इनका एक–दूसरे पर प्रभाव पड़ता है।

❖ लेखन कौशलः–

मॉन्टेसरी के मतानुसार *"लेखन एक शारिरिक क्रिया है"*। जिसके कारण बालकों को हाथो की गतिविधियॉ करनी पड़ती है। यह कार्या वाचन की अपेक्षा सरल है और उन्हं आनन्द की प्राप्ति होती है। लिपी का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार वह लिखित अभिव्यक्ति ही है।

लेखन कला व्यक्ति की सफलता का मूलमंत्र है। इसके अभाव में व्यक्ति कितना ही पढ़ा–लिखा हो, यदि वह अपने विचारों एवं भावों को लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है। यदि उसका हस्तलेखन ठीक नहीं है, तो वह सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छे लेखन की शक्ति अद्भूत होती है। *'कलम बडी या तलवार'* कविता में जहॉ कलम को तलवार से श्रेष्ठ निरूपित किया गया है, वहॉ वस्तुतः लेखन की कला की उत्कृष्टता की

सराहना की गई है। महात्मा गांधी के अनुसार – *"शुद्धलेखन शिक्षा का आवश्यक अंग है"*।

❖ शुद्ध वर्तनी तथा उसका महत्वः–

हर भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें अक्षर कहते हैं। इन अक्षरों को चिन्ह विशेषो से अभिव्यक्त किया जाता है तथा इन चिन्ह विशेषो के समूह को लिपि कहते है हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हर मूल ध्वनि के लिए चिन्ह विशेष तो है ही, साथ ही संयुक्त ध्वनियों को संयुक्ताक्षरों द्वारा अभिव्यक्त करने का विधान भी है तथा कुछ ध्वनियों को मात्राओं, अनुनासिक, अनुस्वार एवं अर्द्ध अनुस्वार (चन्द्र बिन्दु) द्वारा कुछ ध्वनियों को अक्षर के नीचे नुक्ता (.) लगाकर तथा कुछ ध्वनियों को अक्षर के ऊपर अर्द्धचन्द्र (ॅ) लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है।

किसी भाषा के सर्वमान्य रूप की रक्षा हेतु सबसे पहली जरूरत उसके शुद्ध उच्चारण की होती है तथा दूसरी आवश्यकता उसकी शुद्ध वर्तनी की होती है शुद्ध वर्तनी के अभाव में किसी भाषा का कोई निश्चित रूप नही हो सकता, उसका कोई सर्वमान्य रूप नही हो सकता। शुद्ध वर्तनी के अभाव में कोई भाषा अपने प्रयोजन में खरी नही उतर सकती। कभी–कभी तो शब्दों की अशुद्ध वर्तनी से उनका अर्थ ही बदल जाता है, जैसे सकल के स्थान पर शकल लिखने से समस्त के स्थान का अंश का बोध होना।

❖ प्राथमिक स्तर पर भाषा के कौशलों का महत्वः–

भाषा एक कौशल है। कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को छोटी आयु से ही किसी कौशल का अभयास कराया जाता है तो वह उस कौशल पर शीघ्रता से पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता के साथ करता है।

भाषी कौशलों की शिक्षण की दृष्टि से भी बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे की शैशावस्था एवं बाल्यावस्था में अनुकरण प्रवृत्ति तीव्र होती है। और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बहुत सुगमता व सहजता के साथ इन भाषा के कौशल का अभ्यास कराया जा सकता है, वैसे तो बच्चे प्राथमिक कक्षा में ही प्रवेश करने से पूर्व चारों कौशलों का कुछ न कुछ ज्ञान रखते है। परन्तु यह जरूरी नहीं की उनका यह ज्ञान शुद्ध ही हो।

आवश्यकता इस बात की है कि, अध्यापक यह पता लगाए की, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बालक कितना कुछ जान चुका है। इसी पूर्वज्ञान को आधार बनाकर बालक के भाषा के चारों कौशलों का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है।

अध्यापक यह भी पता लगाए कि, उसका कितना ज्ञान शुद्ध है और कितना अशुद्ध। अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है, वह अमिट होती है। अतः प्रथम कक्षा से ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण, शुद्धबोलने, पढ़ने–लिखने आदि का अभ्यास कराया जाए। प्राथमिक स्तर पर बालक की आयु–बहुत लचीला होती है। इस आयु में उसके अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना आसान होता है। अतः चारों भाषिक कौशलों को विकसित करने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण ळें

❖ हिन्दी भाषा का स्वरूपः–

वस्तुतः हिन्दी शब्द एक विदेशी शब्द है अरवी, फारसी और ईरानी भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों में भारत को 'सिंन्धु' नदी के आधार पर 'हिन्द' कहा गया है हिन्द से संबंधित भाषा को हिन्दी के रूप में इन ग्रंथों में प्रयुक्त किया गया है। ईरान के बादशाह नौशेखाँ (531–579 ईसवी) के राज्यकाल में संस्कृत तथा ग्रंथ "पंचतत्र" का जो अनुवाद जो ईरानी में किया गया, उसमें संस्कृत (भारतीय भाषा) के लिये "जबाने हिन्द" शब्द का प्रयोग हुआ लगभग 13वीं शताब्दी में यह हिन्दी शब्द मध्य देश की भाषा एवं दिल्ली, मेरठ की मुख्य बोली (खडी बोली) के लिए प्रयुक्त हाने

लगा। अमीर खुसरो के कोष ग्रंथ 'खालिकबारी' में 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग इसी क्षेत्र की बोली के लिए हुआ है। दक्षिण भारत में मुसलमान कवियों तथा सूफी कवियों की रचना में हिन्दवी, हिन्दुई, रेख्ता और दक्खिनी आदि नामो का प्रयोग हुआ है। एक भाषा के रूप में हिन्दी शब्द का व्यापक व्यवहार अंग्रेजी राज्य काल में हुआ है।

इस व्यापक अर्थ में हिन्दी पांच उप भाषएं है जिनमें बोलियां सन्निहित है इनका विश्लेषण निम्नानुसार है–

1	पश्चिमी हिन्दी की बोलियां	खडी बोली, ब्रजभाषा, बान्गरू, बुन्देली और कन्नौजी
2	पूर्व हिन्दी की तीन बोलियां	अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी
3	राजस्थानी की पांच बोलियां	मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और निवाड़ी
4	बिहारी की तीन बोलियां	मैथिली, मगही और भोजपुरी
5	पहाड़ी की छः बोलियां	कुमायूंनी, गढवाली, नेपानी, गोरखाली, कुल्लई और सिरमोरी

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी भाषी क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है ।

प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट की एक सर्वसम्मत राष्ट्र भाषा होना आवश्यक है। इसी परिपेक्ष्य में भारत क संविधान की धारा 343 (1) में यह उल्लेख है संघ की राज भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। वर्तमान में नागरी लिपि निम्नानुसार की गई है।

स्वर– जिनका उच्चारण स्वतन्त्र रूप में किया जाता है।

स्वर तीन प्रकार के होते हैं –

1. हस्व स्वर– अ, इ, उ ऋ
2. दीर्घ स्वर– आ, ई, ऊ
3. संयुक्त स्वर– ए, ऐ, ओ, औ

व्यंजन– जो स्वर की सहायता से बोले जाते है–

स्पर्ष व्यंजन	उच्चरण स्थान
क वर्ग	क,ख,ग,घ,ङ – कण्ठ
च वर्ग	च,छ,ज,झ, ञ – तालु
ट वर्ग	ट,ठ,ड,ढ़,ण – मूर्द्धा
त वर्ग	त,थ,द,ध,न – दन्त
प वर्ग	प,फ,ब,भ,म – ओष्ठ
अन्तस्थ व्यंजन	य,र,ल,व
ऊष्म व्यंजन	श,ष,स,ह
संयुक्ताक्षर	क्ष,त्र,ज्ञ,श्र
द्विगुण व्यंजन	ड,ढ़
अनुस्वर	(ं)
विसर्ग	(:)

❖ **हिन्दी भाषा का शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान**

हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी मावृभाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है। शिक्षा आयोगों ने भी प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कहा है।

मुदलियार आयोग (1952–53) – के अनुसार शिक्षा के माध्यम के सुझाव दिये की, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार की जायेगी।

त्रिभाषा सूत्र (1956–61) – के अनुसार, मातृभाषा को शिक्षा में प्रथम भाषा का स्थान दिया है।

कोठारी आयोग (1964) – के अनुसार मातृभाषी ही शिक्षा का माध्यम है, और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य है।

एन.सी.एफ. (2005) – के अनुसार त्रिभाषा फॉर्मूला को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। इनमें आदिवासी

भाषाएँ भी शामिल है। भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

❖ हिन्दी भाषा के उद्देश्य –

किसी भी भाषा अध्ययन का मतलब है कि अपने विचारों का आदान–प्रदान करना। विचार विनिमय से तात्पर्य, विचार ग्रहण एवं विचारों की अभिव्यक्ति दोनों से है। बालक जब विद्यालय से आता है, तो वह अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों और वाक्यों को प्रयोग में लाना सीख चुका होता है। यह देखा जाता है कि, इन शब्दों वाक्यों का प्रयोग प्राथमिक किसी बोली से अधिक होता है। विद्यालय में छात्र हिन्दी भाषा की शब्दावली, व्याकरण आधारित संरचनाएं भाषा व्यवहार आदि का शिक्षण प्राप्त करता है।

हिन्दी भाषा सीखने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1. समझते हुए सुनना।
2. औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालाप स्थिति में प्रभावी ढंग से बोलना।
3. समझते हुए पढ़ना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को पढ़ने में आनन्द लेना।
4. विचारों को पढ़ने में क्रम और मौलिकता के साथ साफ लिखाई में प्रस्तुत करना।
5. सुकर विचारों को सुनना एवं पढ़कर समझना।
6. विभिन्न सन्दर्भ में व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग करना, निबन्धलेखन, पत्र लेखन, संवाद, सारांश आदि में लेखन शुद्धता को बढ़ाना।
7. विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व जीवन में मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक समस्याओं को समझने एवं उसका हल खोजने का विकास करना।

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता:–

भाषा विचारों के आदान–प्रदान का माध्यम है, जो हमारे विचारों, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाती है और दूसरों के विचारां को हम तक पहुंचाती है। भाषा ज्ञान के दुर्बलता के कारण विद्यार्थी लेखन में वर्तनीगत अशुद्धियॉ करता देखा जाता

है। वह उचित अनुच्छेद व मात्रएँ, विरामचिन्ह, संयुक्ताक्षर, शब्द, वर्ण आदि का प्रयोग नहीं कर पाता। वह व्याकरणीक मर्यादाओं का पालन करने में असमर्थ सिद्ध होता है। इन सबका प्रभाव उसके लेखन अधिगम में कठिनाईयों पर पड़ता है। जिसका उसकी उपलब्धि पर तो परिणाम होता ही है, बल्कि विद्यार्थी प्राथमिक स्तर तो 4थी कक्षा तक उत्तीर्ण होता है, लेकिन बाद में उच्चतर प्राथमिक 5वीं, 6वीं या 10वीं कक्षा तक ऐसा बालक निराश होकर स्कूल का त्याग करता है अथवा कमजोर ज्ञान के कारण सदा सर्वदा उपहास का पात्र बन जाता है।

अतः शाला में इस बात का पता लगाने के लिए इस अध्ययन की आवश्कता है कि विद्यार्थी कहां तक सफल हुए कहां–कहां गलतियां करते है। उनका हिन्दी लेखन के सदर्भ में कहां तक भाषा विकास हुआ है और कहां अशुद्धियां हुई है इसका पता लगा कर उन कमिंयों को दूर करने हेतु ऐसा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाये कि उनकी अशुद्धियां कम कर दी जाय।

आज उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में बहुत सी भाषायी अशुद्धियाँ देखने को मिलती है यह अशुद्धियाँ शासकीय व अशासकीय, ग्रामीण व शहरी तथा छात्र व छात्राओं में सामान्य रूप से देखी जाती है हिन्दी भाषा को अभिव्यक्ति का सरस, प्रभावशाली माध्यम बनाने के लिए अशुद्धियों का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

बाल्यावस्था कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होती है उसे जिस ओर मोड दिया जावे वैसा ही स्वरूप हो जाता है अतः अशुद्धियों में सुधार की इसी अवस्था में किया जाना चाहिए इस के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है यह पता लगाना कि अशुद्धिययाँ कितने प्रकार की होती है । शोधकर्ता ने निम्नलिखित भाषागत अशुद्धियों का शोध किया है –

(क) **मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ –**

शब्दों को लिखते समय ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं में भिन्नता न कर पाने की स्थिति में होने वाली अशुद्धियों को मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ कहते है।

(ख) **वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियाँ –**

हिन्दी भाषा में वर्ण की ध्वनि अथवा शब्द की ध्वनि पर ध्यान न देने के कारण वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे– अनुसरण को अनुशरण तथा अनिष्ट को अनिष्ठ

(ग) **लिंग सम्बन्धी असुद्धियाँ –**

हिन्दी भाषा में पुलिंग तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं को लिखते समय होने वाली अशुद्धियाँ लिंग सम्बन्धी अशुद्धि होती है जैसे– विदुषी को विद्वानी और गोपी को गोपनी

(घ) **वचन सम्बन्धी अशुद्धि :–**

हिन्दी भाषा में दो वचन होते है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों का ज्ञान न होने के कारण कर्ता के अनुरूप क्रिया के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ वचन सम्बन्धी अशुद्धियाँ कहलाती है जैसे– अनेक के स्थान पर अनेकों

(च) **अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु संबन्धी अशुद्धियाँ –**

जिन शब्दों पर केवल (ं) प्रयुक्त होता है उन्हे अनुस्वार ध्वनियां कहते है तथा जिन शब्दों पर चन्द्रविन्दु (ँ) प्रयुक्त होता है उन्हे अनुनासिक ध्वनियां कहते है। जैसे चांद के स्थान पर चाँद तथा गंगा के स्थाना गँगा

(छ) **वाक्य सम्बन्धी अशुद्धियाँ –**

हिन्दी भाषा में मात्रा लिंग वर्ण वचन अनुस्वार एवं चन्द्रविन्दु तथा हिन्दी व्याकरण के विपरीत अन्य प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे –

- राम और सीता वन जा रहे है (शुद्ध)
- राम और सीता वन जा रही हैं (अशुद्ध),
- मुझे बाहर जाना है (शुद्ध)
- मैने बाहर जाना है (अशुद्ध)

1.3 समस्या का कथनः–

कक्षा 6वी के विद्यार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों का अध्ययन एवं सुझाव।

1.4 समस्या कथन में प्रयुक्त परिभाषाः–

1. वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियां–

"किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को उनके लिए निश्चित चिन्ह विशेषों के माध्यम से अभिव्यक्त करने को शुद्ध वर्तनी कहते है।

2. लेखन अशुद्धियां–

हिन्दी लेखन कौशल में विद्यार्थियों से जो गल्तियां (त्रुटियां) होती है उस लेखन अशुद्धियां कहते है। उदाहरण – मात्राएँ, विराम चिन्ह, संयुक्ताअक्षर, शब्द, वर्णो और अनुक्षेद रचना आदि में होने वाली अशुद्धियां।

1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्यः–

उद्देश्य विहीन कार्य और पतवार विहीन नाव एक समान होते है इसलिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किये जाते है। प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है यहां निम्नलिखित उद्देश्य है –

1. कक्षा 6वी के विद्यार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों का अध्ययन।
2. कक्षा 6वी के विद्यार्थियों के हिन्दी लेखन में वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों के कारणों को जानना।
3. अनुभवी अध्यापकों द्वारा अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग को ज्ञात करना।
4. विद्यार्थयों का ध्यान अशुद्धियों की ओर दिलाना जिससे उनके द्वारा की जा रही अशुद्धियों में आवश्यक सुधार किया जा सके।
5. समस्या क्षेत्र में कार्यरत व अध्यापक वर्ग का हिन्दी भाषा की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना।

1.6 समस्या का सीमांकनः–

प्रत्येक शोध कार्य की कुछ परिसीमाएं होती है जिसका पालन किया जाता है। प्रस्तुत लघु शांध के लिए निम्न परिसीमाएं निश्चित की गई है–

- प्रस्तुत अध्ययन भोपाल शहर के नरेला क्षेत्र के शासकीय विद्यालय तक सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन में हिन्दी भाषा अध्ययनरत विद्यार्थियों को सीमित रखा है।
- इस अध्ययन में कुल पच्चीस विद्यार्थी लिये गये है। जो कि शासकीय विद्यालय के हैं।
- प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा 6 वीं के विद्यार्थियों में हिन्दी लेखन के लिए दो अपठित गद्यांश दिया गया जो शोधकर्ता के द्वारा पढ़ने के बाद विद्यार्थियों द्वारा सुन कर लिखा गया जिसमें मात्रा, विराम चिन्ह, संयुक्ताक्षर, वर्णो, शब्दो में अनुच्छेद रचना में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन किया गया।

1.6 सारांशः–

प्रस्तुत लघु शोध के प्रथम अध्याय में समस्या का परिचय, समस्या का महत्व, समस्या चुनने का आधार, अध्ययन की आवश्यकता, पदों की व्याख्या, अध्ययन के उद्देश्य एवं समस्या के परिसीमन पर प्रकाश डाला गया है। अगले अध्याय में हम शोध साहित्य का पुनरावलोकन करेगें।